233

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

समक्ष : एम.के. सिंह
सदस्य

प्रकरण कमांक अपील 2270–दौ/2006, विरूद्ध आदेश दिनांक 05.10.2016 पारित द्वारा अतिरिक्त कमिश्नर सागर संभाग, सागर अपील प्रकरण कमांक 196/अ–67/2000–01

मैसर्स मंटोले सिंह एण्ड कंपनी, छतरपुर
द्वारा – रणवीर सिंह तनय तेज सिंह सेंगर (मृत)
वारिश रूद्रप्रताप सिंह पुत्र स्व. रणवीर सिंह
निवासी सिंचाई कॉलोनी, छतरपुर तहसील व
जिला – छतरपुर (म.प्र.)

..... अपीलार्थी

विरूद्ध

म.प्र. शासन

..... प्रत्यर्थी

श्री मुकेश भार्गव अधिवक्ता, अपीलार्थी
श्री प्रभात सिंह जादौन अधिवक्ता, प्रत्यर्थी

आदेश

(आज दिनांक 26–07–2016 को पारित)

यह अपील म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षिप्त में संहिता कहा जायेगा) की धारा 44 के अंतर्गत अतिरिक्त कमिश्नर सागर संभाग, सागर के आदेश दिनांक 05.10.2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि खनिल निरीक्षक छतरपुर द्वारा एक प्रतिवेदन अपर कलेक्टर छतरपुर के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी फर्म द्वारा ग्राम पहरापुरवा स्थित शासकीय भूमि खसरा नं. 945, 948/7, 948/1, 946 एवं 958/2 में से बोल्डर, मिट्टी, मुरम, रेत का अनाधिकृत रूप से उत्खनन किया जाकर शासन को 3,07,768/– रूपये की आर्थिक क्षति पहुँचाई गई है। खनिज निरीक्षक के उक्त प्रतिवेदन के आधार पर अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा अपीलार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया जिसका उत्तर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया तदुपरान्त अपर कलेक्टर छतरपुर ने अपने आदेश दिनांक 22.6.2000 द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उत्तर को संतोषप्रद न पाते हुए उनके द्वारा अवैध उत्खन किया जाना प्रमाणित होने के कारण संहिता की धारा – 247 (7) क तहत छैः लाख रूपया का अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने का आदेश पारित किया। इसके विरूद्ध अतिरिक्त कमिश्नर सागर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अतिरिक्त कमिश्नर ने आदेश दिनांक 5.10.2006 के द्वारा हस्तक्षेप का आधार नहीं होने से अपील निरस्त की गई। अतिरिक्त कमिश्नर के आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि विचारण न्यायालय एवं अपील न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को विधिवत सूचना नहीं दी गई। यह भी तर्क दिया कि कार्यपालन यंत्री के कमांक 209 द्वारा एग्रीमेंट नं. 23 दिनांक 18.8.1989 द्वारा उक्त नहर की खुदाई में निकले पत्थरों के उपयोग एक्युडेट करने हेतु निर्देशित किया गया था उसमें कोई अवैध उत्खनन नहीं किया है इसी कारण खनिज निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर जै.एस. रैकवार

कार्यपालन यंत्री बरियारपुर बागी तट नहर संभाग कं. 3 छतरपुर को भी पक्षकार बनाया गया था। अपीलार्थी को बिना किसी साक्ष्य व आधार के तथा कोई दस्तावेज उपलब्ध कराये बिना मूल दस्तावेज प्रकरण में शामिल किये बिना तथाकथित खसरा भूमि में किसी प्रकार का कोई उत्खनन प्रमाणित किये बिना अपीलार्थी को दोषी मानकर दंडित कर दिया।

अपीलार्थी की ओर से यह तर्क भी दिये गये कि मौके का नक्शा एवं पंचनामा पेश नहीं किया है तथा खनिज निरीक्षक ने मौके पर कुछ भी जप्ती व सुपुर्दगी नहीं किया।

अपीलार्थी की ओर से यह तर्क भी दिये कि अपीलार्थी कम्पनी ने विवादित आराजी में से कोई भी उत्खनन नहीं किया है बल्कि नहर की खुदाई में निकले पत्थरों का उपयोग एक्युडेट के निर्माण कार्य में निर्देशानुसार किया गया था उसमें कोई अवैध उत्खनन नहीं किया है। अपर कलेक्टर ने अपीलार्थी को पूर्ण सुनवाई का अवसर नहीं दिया अपीलार्थी पर अर्थदण्ड आरोपित करने में विचारण न्यायालय ने त्रुटि की है। जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने भी बिना कोई समुचित कारण दिये उक्त आदेश की पुष्टि करने में भूल की है। अतः दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त कर अपील स्वीकार की जाये।

4– प्रत्यर्थी शासन की ओर से तर्क दिया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निश्कर्ष है जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार अपील में नहीं है।

5– उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपर कलेक्टर छतरपुर ने अपीलार्थी को विधिवत साक्ष्य प्रस्तुत करने, सुनवाई का पूर्ण अवसर दिये बिना खनिज निरीक्षक के एकपक्षीय

प्रतिवेदन को आधार मानकर अपीलार्थी पर अर्थदण्ड अधिरोपित किया था। मौके का न तो नक्शा पेश किया न ही पंचनामा पेश किया खनिज निरीक्षक ने मौके पर कुछ भी जप्ती सुपुर्दगी नहीं किया है। अपीलार्थी को खनिज निरीक्षक का प्रतिपरीक्षण करने का भी अवसर नहीं दिया अभिलेख के अवलोकन से यह भी पाया गया कि अपीलार्थी ने अपने निजी हित में कोई उत्खनन नहीं किया बिना प्रमाण के अपीलार्थी पर अर्थदण्ड अधिरोपित कर उक्त राशि पर अर्थदण्ड अधिरोपित करने में अपर कलेक्टर छतरपुर ने त्रुटि की है जिसे अतिरिक्त कमिश्नर सागर ने स्थिर रखने में भूल की है इस प्रकार उक्त दोनों न्यायालयों द्वारा पारित आदेश अवैध एवं त्रुटिपूर्ण होने के कारण इस अपील में स्थिर रखे जाने के लिये कोई न्यायोचित आधार परिलक्षित नहीं होता है।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों अतिरिक्त कमिश्नर सागर संभाग, सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 5.10.2006 एवं अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.6.2000 अपास्त किये जाते हैं। अपील स्वीकार की जाती है।

(एम.के. सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर